पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 03 तथा एन0बी0डब्लू0 में 11 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 27.08.2023

दिनांक 26/27.08.2023 को रात्रि थाना अमीनाबाद 02, थाना नगराम 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 03 तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना निगोंहा 11 अभियुक्त गिरफ्तार ।

भा0द0वि0

थाना गोसाईगंज(चोरी)-दिनांक 27.08.2023 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री आशीष कुमार पुत्र स्व0 राधेलाल निवासी म0नं0 4/160 सरस्वतीपुरम खरगापुर कोतवाली गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि वादी की फर्म मेसर्स अनुषा टायर्स प्रो. संगीता देवी पत्नी आशीष कुमार निवासिनी उपरोक्त की दुकान सुल्तानपुर रोड ग्राम शेखनापुर थाना गोसाईगंज लखनऊ में है। दिनांक 25.08.2023 को वादी रोज की तरह करीब 07.00 बजे रात को अपनी दुकान बन्द करके अपने घर उपरोक्त पर चला गया। वादी को दिनांक 26.08.2023 को सुबह करीब 09.00 बजे दुकान के आसपास लोगों से जानकारी मिली कि वादी की दुकान में चोरी हो गई है। वादी सूचना पाकर अपने घर से दुकान पर आया और देखा कि वादी की दुकान का शटर किनारों पर टूटा पड़ा है। वादी ने दुकान के अन्दर जाकर देखा तो पता चला कि दुकान से दो पहिया गाड़ी के लगभग 100 टॉयर, कार के 40 टॉयर, ई-रिक्शा के 20 टॉयर व 10 बोरी ट्यूब अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इसके अलावा अज्ञात चोरों द्वारा दुकान में लगे कैमरे व पावर बैंक को भी चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0 378/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।**

थाना रहीमाबाद(एक्सीडेन्ट)-दिनांक 27.08.2023 को थाना रहीमाबाद द्वारा बताया गया कि वादी श्री अतुल पुत्र शिवसागर निवासी ग्राम बेलवारखेड़ा मजरा रूसैना थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ ने थाना रहीमाबाद पर सूचना दिया कि वादी के पिता शिवसागर पुत्र स्व0 छंगा निवासी ग्राम बेलवारखेड़ा मजरा रूसैना थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ रोज अपना ई-रिक्शा लेकर रहीमाबाद जाते थे, जोकि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रहीमाबाद संडीला रोड पर चलाते थे। दिनांक 25.08.2023 को जब वादी के पिता शिवसागर रहीमाबाद से संडिला के लिए सवारी लेकर जा रहे थे कि ग्राम मुंशीखेड़ा मजरा तरौना थाना रहीमाबाद के पास लखनऊ की तरफ से आ रहे ट्रक नं0-यूपी 41 बीटी 2280 के अज्ञात चालक द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के पिता शिवसागर के ई-रिक्शा को टक्कर मार दिया गया, जिसे वादी के पिता व ई-रिक्शा में बैठी 04 सावारियां भी घायल हो गई और वादी के पिता का ई-रिक्शा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया । वादी के पिता उपरोक्त को इलाज हेतु सीएचसी मलिहाबाद लाया गया जहां डॉक्टरों ने वादी के पिता उपरोक्त को मृत्यु घोषित कर दिया तथा ई-रिक्शा में बैठी घायल सावारियों को ट्रामा सेन्टर इलाज हेतु भेजा गया । **इस सूचना पर थाना रहीमाबाद पर मु0अ0सं0 150/2023 धारा 279/337/338/304ए/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना मदेयगंज(फौती)</u>-दिनांक 27.08.2023 को थाना मदेयगंज द्वारा बताया गया कि पीआरवी 5441 को जरिये दूरभाष माध्यम सूचना मिली कि हनुमन्त नगर बड़ी पकडिया के पास थाना क्षेत्र मदेयगंज ब्रिलियन्ट एकेडमी स्कूल में एक अज्ञात महिला का शव उम्र करीब 38 वर्ष पड़ा है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री दिग्विजय यादव मो0नं0 7905226801 थाना मदेयगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतका की पहचान नही हो पाई है। आसपास के लोगो द्वारा ज्ञात हुआ कि मृतका मानसिक रुप से विक्षिप्त थी। घटना स्थल पर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि ब्रिलियन्ट एकेडमी स्कूल बन्द होने के बाद स्कूल में एक महिला केयर टेकर के रुप में कार्यरत है, महिला द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.08.2023 को समय करीब 03.00 बजे के आसपास एक अज्ञात महिला जबरन स्कूल में घुस गई और स्कूल के रुम में घुसकर माइक व अन्य इलेक्ट्रिक सामान के वायर को पकड़कर खींचने लगी। जिससे उस महिला को करन्ट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृतका की शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे है।

<u>थाना अलीगंज(मारपीट)</u>-दिनांक 27.08.2023 को थाना अलीगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री मो0 इरफान पुत्र स्व0 मुन्ना निवासी बनारसी टोला थाना अलीगंज लखनऊ ने थाना अलीगंज पर सूचना दिया कि वादी की टेलर की दुकान वादी के घर पर है। दिनांक 26.08.2023 को समय करीब 09.50 बजे रात्रि वादी अपनी दुकान में काम कर रहा था कि राहुल वर्मा, पारुल वर्मा पुत्र/पुत्री गण स्व0 जगदीश नारायण वर्मा निवासीगण बनारसी टोला थाना अलीगंज लखनऊ, इनके दोनों बेटे ईशु व विशु, राहुल वर्मा के चाचा कन्हैया लाल वर्मा के दोनों लड़के अतुल व शिवा तथा उनके पड़ोस का एक लड़का विनय पुत्र रामकुमार वर्मा ये सभी अचानक वादी की दुकान में घुसकर भीड़ लगा दिया, इससे पहले की वादी कुछ समझ पाता सभी विपक्षीगणों ने वादी के ऊपर हमला कर दिया और वादी की दुकान में रखी 10 इंच की कैंची से वादी पर वार कर दिया। जब वादी घायल होकर जमीन पर गिर गया तो विपक्षीगण वादी को लात घूसों से मारने पीटने लगे। वादी के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए जिस पर विपक्षीगण भाग गये। **इस सूचना पर थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0-249/2023 धारा 147/323/324भादवि पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**